(1)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

रामजी यादव बनाम् चन्द्रपती यादव वगै0

विविध वाद संख्या – 22/2024,

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

रामजी यादव, पिता महादेव यादव, साकिन–नावाडीह, थाना–बिरनी, जिला–गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. चन्द्रपती यादव, पिता – लछु यादव,
2. सुखदेव यादव, पिता – लछु यादव,
3. नकुल यादव, पिता – स्व0 मथुरा यादव,

सभी साकिन – नावाडीह, पो0 – जनता जरीडीह, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह।

आदेश

आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बिरनी के पत्रांक – 182, दिनांक – 19.02.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर, निम्नलिखित भूमि पर, ***Cr.P.C.*** की धारा 144 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि की विवरण निम्न प्रकार हैः–

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
बिरनी	नावाडीह/67	09	135	कुल रकबा – 40 डी0 में से विवादित रकबा – 20 डी0	उ0– निज, द0– गोपी यादव खेत, पु0– राम प्रसाद यादव, प0– डोमन यादव।

20.03.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर, दोनों पक्षों के सदस्यों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए, अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विभिन्न तिथियों को उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 30.12.2023 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ,
2. जीतन महतो वगै0 के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या– 0621399800, दिनांक– 29.11.2023)– कुल 01 पृष्ठ,
3. जीतन महतो वगै0 के नाम से खतियान की छायाप्रति – कुल 2 पृष्ठ,
4. रामजी यादव का आधार कार्ड की छायाप्रति, – कुल 01 पृष्ठ,

प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – प्रथम पक्ष का जमीन मौजा – नावाडीह, थाना नं0 – 67, थाना – बिरनी, अंचल – बिरनी, के अंदर खाता नं0– 09, प्लॉट नं0– 135, रकबा– 40 डी0 के मधे विवादित रकबा – 20 डी0 चौहदी उ0 – नीज, द0 – गोपी यादव खेत, पू0– राम प्रसाद यादव, प0– डोमन यादव वाके है। जो प्रथम पक्ष के दादा जीतन महतो वगैरह के नाम से खतियान में दर्ज है, जो अंचल कार्यालय, बिरनी के माँग पंजी 2 के पेज संख्या – 10 भाग संख्या – 02 में जीतन महतो वगैरह के नाम से दर्ज है, जिसका साल दर साल लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – प्रथम पक्ष के उक्त विवादित जमीन खतियान से प्राप्त जमीन पर जोत – अबाद एवं खेती बारी करते चले आ रहे है, एवं दखलकार चले आ रहे है। जिसकी वंशावली इस प्रकार से है:–

द्वितीय पक्ष

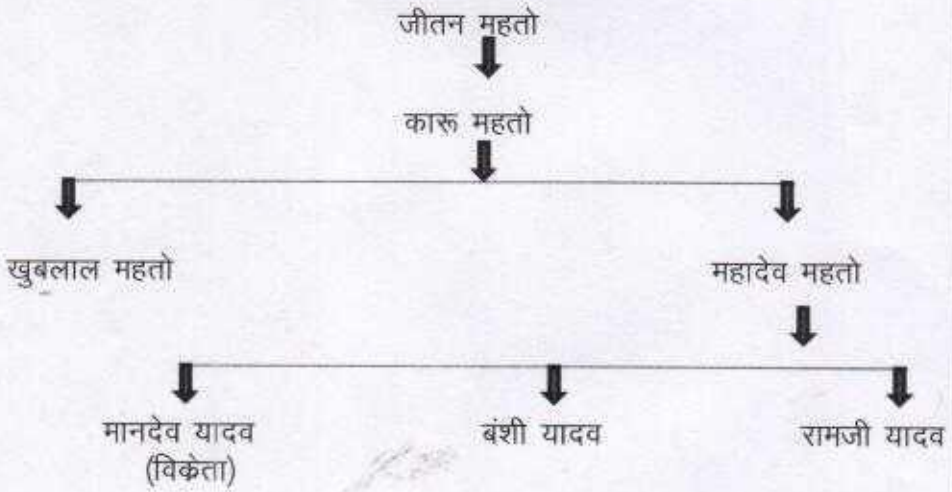

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 18.04.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. द्वितीय पक्ष का लिखित कथन – कुल 02 पृष्ठ,

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

2. केवाला संख्या – 1971, दिनांक – 14.05.2002 की छायाप्रति (विक्रेता – मानदेव यादव, पिता – महादेव यादव, केता – श्री लछु यादव, पिता – स्व0 डेगन महतो) – कुल 04 पृष्ठ,

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 01 – मौजा – नावाडीह, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 09, प्लॉट नं0 – 135, रकबा – 40 डी0, चौहदी उ0 – नीज, द0 – गोपी यादव खेत, पू0– राम प्रसाद यादव, प0– डोमन यादव जो प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया यह वाद आधारहीन, तथ्यहीन गलत एवं अपोषनीय है क्योंकि उपरोक्त वर्णित जमीन द्वित्तीय पक्षों का खरीदगी से हासिल जमीन है, जो मानदेव यादव, पिता – स्व0 महादेव महतो द्वारा द्वित्तीय पक्ष के पिता – लछु महतो के नाम से दिनांक – 14.05.2002 से हासिल जमीन है, हासिल के बाद द्वित्तीय पक्ष उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हुआ तथा दाखिल खारिज कराकर सरकारी राजस्व लगान भुगतान कर सरकारी राजस्व लगान रसीद प्राप्त किया व करते आ रहे हैं, तत्काल उक्त जमीन पर दखल – कब्जा द्वित्तीय पक्षों का है।

अंचल अधिकारी, बिरनी का जाँच प्रतिवेदन

अंचल अधिकारी, बिरनी का पत्रांक – 182, दिनांक– 19.02.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो कि अभिलेख में संलग्न है, उक्त प्रतिवेदन मे कहा गया है कि –

1. खतियान के आधार पर :– यह है कि प्रतिवेदित भूमि मौजा – नावाडीह, थाना नं0 – 67 के अंतर्गत खाता सं0 – 09, प्लॉट सं0 – 135, कुल रकबा – 40 डी0 सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाता की भूमि है। खतियान जीतन महतो वगैरह के नाम से इंद्राज है। प्रथम पक्ष रामजी यादव, पिता – महादेव यादव, साकिन – नावाडीह के परदादा जीतन महतो के नाम से खतियान इंद्राज है। घरैया बंटवारा के आधार पर उक्त प्लॉट पर दखलकार चले आ रहे हैं। द्वित्तीय पक्ष (I) चन्द्रपति यादव (II) सुखदेव यादव, दोनों के पिता – लछु महतो एवं नकुल यादव, पिता – मथुरा यादव साकिन – नावाडीह उक्त प्लॉट से संबंधित कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।
2. पंजी – II के आधार पर :– प्रथम पक्ष रामजी यादव के परदादा जीतन महतो वगैरह के नाम से ऑनलाईन पंजी – II के पृष्ठ सं0 – 10/II पर जमाबंदी कायम है। द्वित्तीय पक्ष द्वारा राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

थाना प्रभारी, बिरनी का जाँच प्रतिवेदन

थाना प्रभारी, बिरनी का ज्ञापांक 227/2024, दिनांक– 25.02.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो कि अभिलेख में संलग्न है, उक्त प्रतिवेदन मे कहा गया है कि *"मौजा– नावाडीह, खाता नं0 – 09, प्लॉट नं0 – 135, रकबा – 40 डी0 चौहदी मधे 20 डी0 चौहदी उ0 – नीज, द0 – गोपी यादव खेत, पू0– राम प्रसाद यादव, प0– डोमन यादव अवस्थित है। जमीन पर जाँच पड़ताल किया, जाँच के दौरान ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित कागजात के अवलोकन किया, इनके परदादा जीतन महतो वगैरह के नाम है, विवादित 20 डी0 भूमि पर तीन हिस्सेदार होते है। जहाँ द्वित्तीय पक्ष के लोग बाजबरण कब्जा करने की बात प्रथम पक्ष के द्वारा बताया जा रहा है, विवादित भूमि पर खेती बारी भी की जा रही है। उक्त जमीन को लेकर दोनों पक्षो के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई, दोनों पक्षों की स्थिति को देखते हुए विधि–व्यवस्था की समस्या से इन्कार नही किया जा सकता है। "*

20.04.2024
अनुमण्डल पदाधिकारी
बगोदर-बरियो (गिरिडीह)

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित कथन/कारण–पृच्छा, राजस्व दस्तावेज, मौखिक बयान एवं थाना/अंचल का प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. **विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है –**

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	सम्मिलित चौहद्दी
बिरनी	नावाडीह/67	09	135	कुल रकबा – 40 डी0 में से विवादित रकबा – 20 डी0	उ0– निज, द0– गोपी यादव खेत, पु0– राम प्रसाद यादव, प0– डोमन यादव।

2. उक्त जमीन **प्रथम पक्ष** के दादा जीतन महतो वगैरह के नाम से खतियान में दर्ज है। (**निर्णय का आधार** – खतियान की छायाप्रति तथा अंचल अधिकारी, बिरनी का प्रतिवेदन)

3. उक्त जमीन ऑनलाइन रजिस्टर – II के पेज संख्या – 10, भाग संख्या – 02 पर, जीतन महतो वगैरह के नाम पर दर्ज है तथा जीतन महतो वगैरह के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है।
   (**निर्णय का आधार** – जीतन महतो वगैरह के नाम से निर्गत रसीद सं0 – 0621399800, दिनांक– 29.11.2023)

4. **अंचल की ओर से** समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि उक्त विवादित जमीन प्रथम पक्ष के दादा के नाम से खतियान में दर्ज है तथा रजिस्टर – II में दर्ज होकर रसीद कटता है तथा **"घरैया बंटवारा के आधार पर उक्त प्लॉट पर दखलकार चले आ रहे हैं।"**
   प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि द्वितीय पक्ष की ओर से कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. **थाना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन** मे भी कहा गया है कि उक्त विवादित जमीन प्रथम पक्ष के दादा के नाम पर कागजात है; द्वितीय पक्ष के किसी कागजात का जिक्र थाना के प्रतिवेदन में भी नहीं किया गया है।

6. **द्वितीय पक्ष के द्वारा** न्यायालय में दिनांक 18.04.2024 को अपना जबाब दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि उक्त जमीन द्वितीय पक्ष को रजिस्ट्री केवाला के माध्यम से प्राप्त है तथा दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद कटा रहे हैं तथा उस पर उनका कब्जा है।
   जबाब के साथ में एकमात्र केवाला संख्या – 1971, दिनांक – 14.05.2002 संलग्न किया गया है।
   परन्तु इस केवाला में खाता नं0 – 91, प्लॉट नं0 – 135, रकबा – 40 डी0 मधे $6\frac{2}{3}$ डी0 मात्र जमीन ही दर्ज है।
   केवाला के अलावा और कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, न तो रजिस्टर – II संलग्न किया गया है और न ही कोई लगान रसीद की कॉपी संलग्न की गई है।

20.04.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

अतः स्पष्ट है कि उक्त विवादित जमीन

(a) खतियान में प्रथम पक्ष के दादा जीतन महतो वगैरह के नाम पर दर्ज है।

(b) रजिस्टर – II में जीतन महतो वगैरह के नाम पर दर्ज होकर रसीद भी कट रहा है, तथा प्रथम पक्ष घरैया बंटवारा के आधार पर उक्त प्लॉट पर दखलकार चले आ रहे हैं।

(c) द्वित्तीय पक्ष के पास मात्र $6\frac{2}{3}$ डी० जमीन का केवाला है, दाखिल खारिज कराने और लगान रसीद से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष का दावा सही है तथा द्वित्तीय पक्ष का दावा गलत है।

अतः इस वाद में प्रथम पक्ष के पक्ष में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है तथा द्वित्तीय पक्ष के विरूद्ध निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जाता है, एवं द्वित्तीय पक्ष को उक्त जमीन पर जाने से रोका जाता है।

द्वित्तीय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

इसके साथ ही इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

20.04.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर, सरिया (गिरिडीह)

20.04.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर, सरिया (गिरिडीह)

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.19 16:51:41 +05:30
Location: 192.168.1.9